

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

पत्रांक-3/कृषि बजट आवंटन(गैर यो0)-13/2014

6-1

राँची/दिनांक- 04/01/2023

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक भूमि संरक्षण,
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना व्यय अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-2402-मृदा तथा जल संरक्षण, लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-05-मुख्यालय स्थापना शीर्षान्तर्गत मजदूरी मद में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से आगणित कुल राशि रु. 0.38 लाख (अड़तीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

प्रसंग:-

वित्त विभाग का पत्रांक-692 दिनांक-27.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के क्रम में विषयगत बजट शीर्षान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना व्यय अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-2402-मृदा तथा जल संरक्षण, लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-05-मुख्यालय स्थापना शीर्षान्तर्गत मजदूरी मद में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से आगणित कुल राशि रु. 0.38 लाख (अड़तीस हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नवत् प्रदान किया जाता है :-

बजटशीर्ष/प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि
मुख्यशीर्ष-2402-मृदा तथा जल संरक्षण, लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-05-मुख्यालय स्थापना	
विस्तृतशीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
03-मजदूरी (01S24020000105000103)	38000
कुल योग	38000

(अड़तीस हजार रुपये) मात्र।

- उक्त आवंटित राशि रु. 0.38 लाख (अड़तीस हजार रुपये) मात्र की निकासी एवं व्यय घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्त एवं कोषागार नियमावली के सभी सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।
- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/अनुदेश में निहित सुसंगत प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी की जा सकेगी।
- आवंटित राशि से अधिक तथा किसी मद की राशि उनसे भिन्न मद में व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अध

5. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित सभी कोषागार विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृतशीर्ष एवं प्राथमिक ईकाई का स्पष्ट उल्लेख एवं मुहर का उपयोग निश्चित रूप से किया जायेगा। लेखा आंकड़ों के वर्गीकरण की त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. आवंटित राशि अंतर्गत किसी कारणवश व्यय नहीं हो सकने वाली राशि वित्तीय वर्षान्त के पूर्व निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दिया जायगा।
7. उक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/कृषि बजट आवंटन(गैर यो0)-13/2014

67

राँची/दिनांक- 04/01/2023

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त/संबंधित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/कृषि बजट आवंटन(गैर यो0)-13/2014

67

राँची/दिनांक- 04/01/2023

प्रतिलिपि : निदेशक भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ई-मेल आईडी0-dirsoiljhr@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/कृषि बजट आवंटन(गैर यो0)-13/2014

67

राँची/दिनांक- 04/01/2023

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा-3 को 03 (तीन) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।









आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Di

चाहू, वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/KBANP-13/2014/67

दिनांक - 05-Jan-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 01 24020000105000103 2402 - मृदा तथा जल संरक्षण 00 - मृदा तथा जल संरक्षण 001 - निदेशन तथा प्रशासन 05 - मुख्यालय स्थापना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Establishment Expenditure	72851	RNCSWC026 AJAY KUMAR SINGH DIR. SOIL CONS. JH. RANCHI 03 - मजदूरी	38,000.00 रुपये अडतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			



योग: रुपये अडतीस हजार 38,000.00
क्रमिक योग:

(SRI AJAY KUMAR SINGH)

DIRECTORATE SOIL CONSERVATION